

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेशनीति/2020-21/763-64 दिनांक: 29.1.2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय व विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।


विषय: प्रवेश नीति 2020-21 हेतु सुझाव आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2020-21 हेतु राज्य की प्रवेश नीति का निर्धारण आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा किया जाना है। अतः प्रवेश नीति एवं ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में सत्र 2019-20 में आई कठिनाईयों/समस्याओं को दूर करने तथा प्रवेश नीति के कतिपय बिन्दुओं को और अधिक सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से प्रवेश नीति 2020-21 के प्रारूप को तैयार करने हेतु महाविद्यालयों के प्राचार्यों से सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

प्राचार्य अपने सुझावों को बिन्दुवार प्रवेश नीति एवं ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया का पृथक् पृथक् बिन्दु के रूप में संयुक्त निदेशक (अकादमिक) की ई-मेल आई.डी. jdacad1960@gmail.com पर 15 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे कि इसकी हार्ड कॉपी आयुक्तालय को प्रेषित नहीं करनी है।

भवदीय,



29/1/2020

(डॉ. दीपक मेहरा)

संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

प्रतिलिपि:

वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया आयुक्तालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


29/1/2020

(डॉ. दीपक मेहरा)

संयुक्त निदेशक(अकादमिक)